

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड

(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 49/2014संस्थापन दिनांक 25.08.14

फाईलिंग नंबर—230303012632014

1. अरविन्दसिंह आयु 55 साल
2. नरेन्द्रसिंह आयु 42 साल पुत्रगण  
मलखानसिंह जाति जाट ठाकुर  
निवासीगण ग्राम पाली (डिरमन)  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

वि रू द्ध

1. सुल्तानसिंह पुत्र हुकमसिंह आयु 65 साल  
जाति जाटव निवासीगण ग्राम पाली (डिरमन)  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद कुमारी शैलजा  
गुप्ता द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—11ए/2014इ0दी0 में पारित  
आदेश दिनांक 19.08.2014 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

---



---

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

---

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 16 मई 2015 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह अपील कु0 शैलजा गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक—11ए/14 में दिनांक 19.08.2014 को पारित आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी/प्रत्यर्थी सुल्तानसिंह ने विवादित भूमि का अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र0—1 व 2 के पक्ष में दिनांक 07.06.05 को सशर्त विक्रय पत्र संपादित किया था।
3. विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि आवेदन पत्र के पद क्रमांक—1 में वर्णित भूमि विवादित है जिसे वादी ने दिनांक 06.05.05 को तीन वर्ष की अवधि के लिये 77000/—रुपये में प्रतिवादीगण को दो रुपये प्रतिमाह प्रतिसेंकडा

के हिसाब से ब्याज पर बंधक रखी थी तथा उक्त अवधि के दौरान विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा रहना तथा वादी द्वारा तीन वर्ष की अवधि में मय ब्याज के रूपया अदा कर देने के संबंध में लिखित अनुबंध हुआ था। विवादित भूमि पर वादी खेती करता रहा और वादी ने दिनांक 05.05.08 को पूरा धन 77000/-रूपये मय ब्याज के गवाहों के समक्ष प्रतिवादीगण को अदा करके अपनी भूमि बंधक मुक्त करा ली थी। चूंकि वादी/प्रत्यर्थी तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी एक ही गांव के होकर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तथा वादी कम पढा लिखा होकर हरिजन जाति का व्यक्ति है। अतः धन अदायगी के संबंध में कोई लिखापढी नहीं हुई थी। चूंकि वादी विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा था उसकी किताब में उसका नाम अंकित था तथा प्रतिवादीगण ने उसे विश्वास दिलाया था कि उन्होंने भूमि पर नामांतरण नहीं कराया है। अतः वह उनके विश्वास में आ गया था परन्तु प्रतिवादी ने छल कपट और बेईमानीपूर्वक पटवारी मौजा और पंचायत सचिव से साजिश कर बंधक अवधि के समाप्ति के पूर्व ही वादी को सूचना दिये बिना तथा विज्ञप्ति जारी किये बिना अवैध रूप से पंजी क्रमांक-11 दिनांक 01.01.06 में पारित आदेश दिनांक 26.01.06 से नामांतरण करा लिया था। प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बेचना चाह रहे हैं इसकी जानकारी गांव में वादी को मिलने पर उसने दिनांक 21.05.12 को कम्प्यूटर से नकलें लीं। तब उसे प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये गलत नामांतरण की जानकारी हुई जिसे निरस्त कराने के लिये वादी ने एस0डी0ओ0 गोहद के यहाँ अपील पेश की। किन्तु एसडीओ ने उसे बिना अवलोकन किये निरस्त कर दिया दिनांक 11.05.14 को प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर कब्जा करने की धौंस दी है। वादी द्वारा बंधक रखी गई भूमि को तीन साल के अंदर ही दिनांक 05.05.08 को संपूर्ण बंधक धन अदा कर दिया है परन्तु फिर भी बंधक अवधि की समाप्ति के पूर्व ही प्रतिवादीगण द्वारा छल कपट बेईमानी से नामांतरण करा लिया है। अतः वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी किये जाने का निवेदन किया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी प्रार्थी के कब्जा बर्ताव में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें न करावें तथा रहन, विक्रय या बंधक या अन्य किसी प्रकार से अंतरण न करें। समर्थन में सुल्तानसिंह ने शपथपत्र पेश किया ।

4. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा अपने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी द्वारा असत्य आधारों पर गलत रूप से दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी/प्रत्यर्थी ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के हक में विधिवत शर्तिया विक्रय पत्र का निष्पादन किया था और प्रतिफल की राशि प्रतिवादीगण से नगद प्राप्त की थी। तथा शर्तिया विक्रय पत्र की अवधि को यह कहते हुए समाप्त किया था कि वह प्रतिफल राशि ब्याज सहित अदा करते हुए जमीन वापस कराने में असमर्थ है इसलिये प्रतिवादी उसे पचास हजार रुपये दे दें। तथा जमीन के कागजातों का अपने पक्ष में नामांतरण करा लिया। यह बातचीत गांव के पंचों के समक्ष हुई थी जिसके आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में अपना नामांतरण कराया है और वादी ने प्रतिवादीगण से पंचों के समक्ष पचास हजार रुपये लेकर विवादित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण को सौंपा था। विवादित भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। विवादित भूमि के दाम बढ़ने और वादी की नीयत में खोट आने से वादी ने गलत दावा पेश किया है। वादी की अपील नामांतरण के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा बे रूल म्याद मानते हुए

निरस्त की गई है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई धौंस नहीं दी गई है। वादी का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वादी ने पंचों के समक्ष पचास हजार रुपये की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र की शर्त को समाप्त किया है तथा नामांतरण में सहमति व्यक्त की है। कथित विक्रय पत्र पर की गई कार्यवाही वादी पर प्रभावी होकर बंधनकारी है। अतः वादी का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। समर्थन में अरविन्दसिंह का शपथ पत्र पेश किया है।

5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.08.14 को पारित करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है क्योंकि विवादित भूमि को शर्तिया विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 के जरिये अपीलार्थीगण को विक्रीत की गई थी। उक्त विक्रय पत्र की अवधि दिनांक 07.06.08 को पूर्ण होती है। उससे पूर्व ही प्रत्यर्थी/वादी ने 50,000/-रुपये अपीलार्थीगण से अतिरिक्त लेकर विक्रय पत्र की शर्त को समाप्त किया था और मौके पर प्रत्यर्थी/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी को भौतिक कब्जा प्रदान किया था जिसके संबंध में अपीलार्थीगण ने सहसराम जाट एवं धर्मेन्द्र राणा के शपथ पत्र पेश किये थे जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण ने नहीं किया। तथा इस तथ्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि कथित शर्तिया विक्रय पत्र की अवधि भी दिनांक 07.06.08 को पूर्ण होती है तो प्रत्यर्थी/वादी ने दिनांक 15.05.14 तक कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की थी। तथा कथित शर्तिया विक्रय पत्र की राशि का भुगतान मय ब्याज सहित किसके समक्ष किया और विक्रय पत्र वापिसी की लिखापढी क्यों नहीं कराई इस संबंध में कोई तथ्य उसके दावा के अभिवचनों में नहीं है। न ही इन तथ्यों के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में है। तथा इस तथ्य पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि कथित रजिस्टर्ड शर्तिया विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 जो अपीलार्थीगण के हक में निष्पादित हुआ था उक्त शर्तिया विक्रय पत्र की अवधि दिनांक 07.06.08 को पूर्ण हो जाने से अपीलार्थीगण को स्वमेव सभी अधिकार कथित शर्तिया विक्रय पत्र पर प्राप्त हो जाते हैं जो एक कूता को होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को स्वामित्व व आधिपत्य का अधिकार शर्तिया विक्रय पत्र में विक्रीत भूमि पर प्राप्त हुआ है और कथित विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 आज दिनांक तक वैध व प्रभावी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सब तथ्यों को अनेदखा किया है।

6. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के तथ्यों पर गौर नहीं किया है जबकि शर्तिया विक्रय पत्र आज भी स्टेण्ड है और किसी भी लिखापढी से वापिस व निरस्त नहीं हुआ है। न ही कथित शर्तिया विक्रय पत्र में वर्णित राशि का मय ब्याज के भुगतान किया गया है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रत्यर्थी/वादी ने पेश नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी के हक में निष्पादित शर्तिया विक्रय पत्र आज भी प्रभावी है। और राजस्व अभिलेख में उनका इन्द्राज भूमिस्वामी के रूप में बदस्तूर है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी/वादी का दावा प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है और सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में न होकर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 को निरस्त किया जावे।

विचारणीय प्रश्न यह है कि -

1. "क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा प्रत्यर्थी/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त किए जाने योग्य है?"

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

9. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि दिनांक 07.06.05 को वादी/प्रत्यर्थी सुल्तानसिंह ने 77000/-रुपये प्रतिफल प्राप्त कर सशर्त विक्रय पत्र विवादित भूमि के संबंध में किया था जिसमें यह शर्त थी कि तीन वर्ष के भीतर मय ब्याज राशि अदा की जायेगी। और यदि उसमें विफल रहा तो उक्त प्रतिफल ही विक्रय पूर्ण होकर स्वत्व उन्हें प्राप्त हो जावेंगे। तथा तीन वर्ष की म्याद दिनांक 06.06.08 को समाप्त हो गयी और उन्हें विवादित भूमि का स्वत्व व अधिकार प्राप्त हो गये हैं। तथा इसी दरम्यान वादी सुल्तान सिंह ने अपीलार्थीगण से पचास हजार रुपये और ले लिये थे और हक त्याग दिया था। उसके बाद नामांतरण हुआ था। किन्तु बाद में जमीन की कीमत बढ़ जाने, विरोधी लोगों के बहकावे में आकर और लालच में झूठे आधारों पर दावा किया है क्योंकि नामांतरण के खिलाफ जो अपील की गई थी वह निरस्त हो गयी। मूल दावे में नामांतरण की कार्यवाही को चुनौती दी गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने की सहायता नहीं चाही गई है इसलिये विक्रय पूर्ण और विधिवत हो चुका है। तथा अपीलार्थीगण की ओर से धर्मेन्द्रसिंह और सहसराम के शपथ पत्र पेश किये गये थे जिनका कोई खण्डन नहीं किया गया और वादी को विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है, न कब्जा है न ही वादी/प्रत्यर्थी ने विक्रय पत्र की शर्त मुताबिक राशि वापिस की। इसलिये विक्रय पत्र में दी गई समयावधि के समाप्त होते ही अपीलार्थीगण पर वैधानिक आधिपत्य व स्वत्व माना जावेगा। वादी ने रुपये अदा करने का कोई प्रमाण, अभिवचन या शपथ पत्र नहीं दिया है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दिशा में जाकर निष्कर्ष निकालते हुए वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जा व बर्ताव के संबंध में प्रचलित कर दी है जो कि कतई विधिसम्मत नहीं है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाये।

10. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुए यह कहा है कि वादी ने प्रतिवादीगण के यहाँ जमीन बंधक रखी थी और नियत अवधि में प्रतिवादीगण को रुपये वापिस कर दिये किन्तु वादी अशिक्षित ग्रामीण और गरीब व्यक्ति है इस कारण उसने अज्ञानता के कारण विक्रय पत्र वापिस की लिखापट्टी नहीं करा पाई। प्रतिवादीगण ने जमीन हड़पने के उद्देश्य से सशर्त विक्रय पत्र की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही विवादित भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया और उसकी अपील एस0डी0ओ0 गोहद को की गई जिन्होंने अपील को अवधि बाह्य मानकर वगैर सुनवाई के निरस्त कर दिया और वाद पत्र

की सहायता में उन्होंने वयनामा को चुनौती दी है। विवादित भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी का कब्जा है और सशर्त विक्रय पत्र के तहत प्रतिवादीगण को कब्जा नहीं दिया गया था तथा प्रतिवादीगण ने कोई पचास हजार रुपये अतिरिक्त नहीं दिये। न कोई लिखापट्टी हुई। यह तर्क भी किया है कि तहसीलदार को कब्जा लेने का अधिकार नहीं है और विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा था, उनकी फसल थी। जबरन फसल काटने का प्रयास वाद लंबन काल में प्रतिवादीगण द्वारा किये जाने पर उसके संबंध में न्यायालय में कार्यवाही की गई थी और पुलिस सहायता भी फसल के संबंध में वादी को न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई कर पूर्ण की गई इसलिये कब्जा वादी/प्रत्यर्थी का ही चला आ रहा है और स्वत्व का गंभीर प्रश्न उत्पन्न है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश मुताबिक उचित रूप से विधिसम्मत आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है जो संपुष्टिकारक है। अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधार विधिपूर्ण नहीं हैं। इसलिये अपील सव्यय निरस्त की जावे।

11. खण्डन में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विचारण में फसल के संबंध में पुलिस सहायता वादी ने मांगी थी और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुने वगैर ही सहायता मंजूर कर ली तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.09.14 को मौके की जांच कराकर आर0आई0 से प्रतिवेदन लिया गया और अपीलार्थी/प्रतिवादी की फसल पाई है जिससे कब्जे की पुष्टि होती है इसलिये अपील स्वीकार की जावे।

15. मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने एवं लिखतम विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 पर से की गई नामांतरण की कार्यवाही पंजी क्र0-11 दिनांक 01.01.06 आदेश दिनांक 26.01.06 और एस0डी0ओ0 गोहद के अपील माल क्रमांक-55/11-12 में दिनांक 05.05.14 को पारित आदेशों को शून्य घोषित किये जाने बाबत वाद प्रस्तुत किया है।

16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 19.08.14 के मुताबिक प्रश्नगत सशर्त विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 पर से कब्जे के हस्तांतरण को प्रथम दृष्ट्या न मानते हुए वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की है।

12. उभयपक्ष के अभिवचन मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 जो कि सशर्त है, उसके संबंध में विचारण हेतु यह बिन्दु उत्पन्न है कि उक्त विक्रय पत्र की शर्त मुताबिक तीन वर्ष के भीतर वादी/प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय धन मय ब्याज के अपीलार्थी/प्रतिवादी को अदा किया गया या नहीं। यह बिन्दु जांच की विषयवस्तु है और इसका निराकरण अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर नहीं हो सकता है। बल्कि उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त गुण-दोषों पर ही संभव है। इसी प्रकार अपीलार्थी/प्रतिवादी का यह आधार कि पचास हजार रुपये और वादी को प्रतिवादीगण ने भुगतान किये, फिर नामांतरण हुआ और वादी ने अपना हक त्याग दिया जिससे वादी/प्रत्यर्थी इन्कार करता है। यह बिन्दु भी गुण-दोषों पर ही साक्ष्य उपरान्त निराकृत हो सकेगा कि इस तरह का कोई लेनदेन हुआ है या नहीं क्योंकि पचास हजार रुपये कब प्रतिवादीगण ने वादी को भुगतान किये या वादी ने प्रतिवादीगण को विक्रय धन कब, कहाँ और किसके समक्ष अदा किये, इस बारे में स्थिति स्पष्ट न होकर मौन है।

13. मूल अभिलेख के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाये तो नामांतरण का आदेश दिनांक 26 जनवरी-2006 को किया जाना प्रकट होता है।

जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व होकर अवकाश का दिन होता है और उस दिन शासकीय कार्यालय बंद रहते हैं। ऐसे में नामांतरण आदेश का दिनांक भी जांच की विषय वस्तु है कि दिनांक 26 जनवरी-2006 के दिन नामांतरण का आदेश संभव है भी या नहीं। दूसरी ओर वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क बल रखता है कि सशर्त विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 में तीन वर्ष की म्याद थी। जो दिनांक 06.06.08 को समाप्त हुई। उसके पहले ही अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने नामांतरण करा लिया जबकि 06.06.08 के पहले तक अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को विक्रय पत्र की शर्त मुताबिक ही स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं था। हालांकि नामांतरण आदेश के विरुद्ध एस0डी0ओ0 गोहद को की गई अपील क्रमांक-55/11-12 दिनांक 05.05.14 को अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त की गई है। नामांतरण सुस्थापित विधि मुताबिक स्वत्व का प्रमाण नहीं होता है। क्योंकि नामांतरण केवल राजस्व वसूली के प्रयोजन से किया जाता है। जैसाकि न्याय दृष्टांत **शांतिबाई विरुद्ध फूलीबाई 2008 आर0एन0-233** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये नामांतरण के आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं होते हैं। विक्रय पत्र दिनांक 07.06.05 की वैधानिकता भी अभी प्रश्नगत है। जैसाकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी आलोच्य आदेश की कण्डिका-8 में उल्लेखित किया है और उसके संबंध में भी उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त ही गुण-दोषों पर निराकरण संभव हो सकेगा कि उसकी वैधानिकता क्या मानी जावे।

14. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का मूल आधार दिनांक 07.06.05 का विक्रय पत्र ही है और विक्रय पत्र के विवरण के पठन पाठन के पृष्ठ क्र0-3 में जिन तीन शर्तों का उल्लेख किया गया है उसमें पहली शर्त में ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आधिपत्य भूमि पर विक्रेता का ही रहेगा। विक्रेता द्वारा अर्थात् वादी/प्रत्यर्थी सुल्तानसिंह से प्रतिवादी/अपीलार्थीगण को आधिपत्य कब और किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। केवल शपथ पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उक्त विक्रय पत्र के तहत वर्ष 2008 में तीन वर्ष की म्याद समाप्त होते ही अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को आधिपत्य स्वमेव प्राप्त होगा।

15. अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस सहायता फसल के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने की जांच इस विविध अपील में नहीं की जा सकती है। उसके संबंध में व्यथित पक्षकार वैधानिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र था। किन्तु अभिलेख के अवलोकन से पुलिस सहायता संबंधी कार्यवाही में प्रतिवादी को सुना जाना आदेश पत्रक दिनांक 05.03.15 से प्रकट होता है। जहाँ तक तहसीलदार वृत्त देहगांव परगना गोहद के प्र0क्र0-63/13-14 बी-121 के आदेश दिनांक 24.09.14 की स्थिति है, यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने के बाद की स्थिति है। और वह प्रकरण के अंतिम परिणाम का ही कोई प्रमाण पेश नहीं है। इसलिये उस पर से वाद प्रस्तुति के दिनांक की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और सुस्थापित विधि मुताबिक अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र का निराकरण करते समय वाद प्रस्तुति दिनांक की स्थिति का परीक्षण और परिरक्षण करना होता है। जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **शिवबिहारी श्रीवास्तव विरुद्ध मैसर्स यूनिवर्सल आई0एन0पी0 इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड 1991 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-04** में प्रतिपादित किया गया है।

16. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वाद प्रस्तुति दिनांक को

विवादित भूमि के आधिपत्य में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का होना परिलक्षित नहीं होता है। बल्कि वादी/प्रत्यर्थी से आधिपत्य का स्थानांतरण होना भी अभी प्रश्नगत है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में जो अस्थाई निषेधाज्ञा आलोच्य आदेश दिनांक 19.08.14 के माध्यम से प्रचलित की है, उसे विधि विरुद्ध या तथ्यों के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है क्योंकि वाद प्रस्तुति दिनांक की स्थिति को प्रकरण में उत्पन्न स्वत्व संबंधी गंभीर प्रश्न के निराकरण तक के लिये यथावत बनाये रखना विधि की अपेक्षा में आता है। ऐसे में प्रस्तुत अपील ज्ञापन में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने हेतु उचित नहीं हैं। और अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क उक्त स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

17. फलतः प्रस्तुत विविध सिविल अपील सारहीन मानते हुए निरस्त कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 19.08.14 को यथावत रखा जाता है।

18. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक— **16.05.15**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड